क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भिवाडी ऑफिस :जी.ओ.–1, फेज –द्वितीय, रीको औघोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email-id : robhiwadi@gmail.com, Ph: 01493-221435

कमांकः–राप्रनिम / क्षे0का0 / भिवाडी / निविदा–07 / 2025–26 / 1283-1284 दिनांकः 13/06/2025

निविदा / बोली सूचना संख्या –07 / 2025–2026

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 की शेष अवधि के लिये निम्न सेवा उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता / संवेदको / फर्मो से निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि[लाखो मे]	बोली प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि	बोली प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	प्रयोगशाला परिचारक–01	07.00	500 / –	14000 / –	23.06.2025 कार्यालय समयानुसार	24.06.2025 दोपहर 11.00 बजें	24.06.2025 दोपहर 12. 00 बजें
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–03						
3	बागबान (अंशकालीन)–01						
4	सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)–02						

निविदा प्रपत्र एंव अन्य शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड प्रपत्र उपयोग में लेने पर निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि 14000 / – राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Payable at Bhiwadi के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सील बंद लिफाफे पर **"प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागबान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) हेतु निविदा"** स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी व वित्तीय बोली हेतु प्रपत्र, पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी। उपापन समिति द्वारा बोली स्वीकार करने / रद्द करने का निर्णय अंतिम होगा। इस निविदा की UBN No. PCB2526SSOB00034 है।

(अमित जुयाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
दिनांकः

कमांकः–राप्रनिम / क्षे0का0 / भिवाडी / निविदा–07 / 2025–26 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईटो पर आज ही अंपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी।

13.6.25

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जी.ओ.–1, फेज – द्वितीय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी
Phone: 01493-221435 Website www.rpcb.nic.in

तकनीकी बोली प्रपत्र (निविदा सूचना संख्या 05/2025–26)
(लिफाफा न0 1)
प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी; बागबान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) की आपूर्ति

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. भिवाड़ी की बोली सूचना संख्या – 07............................ दिनांक ....
2. बोलीदाता /संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :– ....
....
4. फोन/मोबाईल नं. :– ....
5. ई–मेल :– ....
6. बैंक का नाम :– ....
आईएफएससी कोड :– ....
खाता संख्या :– ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. भिवाडी
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 500/– रू (पॉच सौ मात्र)
(2) जमा रसीद संख्या ....दिनांक............/
डीडी क्रमांक .... दिनांक ....राशि................
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं,तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीहेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. अमानत राशि 14000/– का डी.डी. Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Payable at Bhiwadi के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
डीडीक्रमांक...........................दिनांक....................... बैंक का नाम ....
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति से दिनांक **31.03.2026** तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
13. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेज़ो के साथ संलग्न करनी होगी:–

क्र.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होंने सम्बन्धी 50रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायांप्रति				

14. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्षो में किसी भी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/राजकीय उपक्रम/राजकीय कार्यालय में न्यूनतम 1 प्रयोगशाला परिचारक एवं 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक बागबान एक सफाई कर्मचारी एक ही समयावधि में कम से कम 02 वर्ष निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से लगाना होगाः–

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वागवान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन

15. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी द्वारा जारी की गई बोली/निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक............... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आंमत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम ....

मोबाईल न. –

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थानराज्य प्रदूषणनियंत्रण मण्डल
जी.ओ.– I, फेज–द्वितीय, रीको औधोगिक क्षेत्र, भिवाडी
Email ID :robhiwadi@gmail.com. Ph- 01493-221435

निविदादाता द्वारा धोषणा पत्र

मै/हम धोषणा करते हैं कि मैनै/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एंव वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वाछिंत मशीन/उपकरण /प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एंव RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एंव मोहर

नाम

पूर्ण पता

मो.नम्बर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

General Trems& Conditions of Bid & Contract:-

कार्य का नाम –, प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वागवान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) हेतु निविदा

Important Instructions :- The law relating to procurement " The rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinfafter called the act} and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinfafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal http://sppp.raj.nic.in. Therfore, the bidders are advised to acquaint themselves will the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the procision of the act and the reles and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

1. वोलीदाता को वोलियॉ पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर कार्यालय कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीकार्यके लिए तकनीकी वोली अंकित हो मय वोली अमानत राशि रूपये 14000/–का वैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम देय) तकनीकी वोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तो के सभी पृष्ठों पर वोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों, हॉने चाहिए। नकद ,चैक, या अन्य किसी प्रकार से देय अमानत राशि मान्य नही होगी। द्वितिय लिफाफा जिस पर कार्यालय कार्य हेतु प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वागवान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) की आपूर्ति कार्य के लिए वित्तीय वोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय वोलियो के लिफाफे एक वडे लिफाफे में वन्द कर लिफाफे पर "प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वागवान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) की आपूर्ति कार्य" अंकित कर प्रस्तुत करने हॉगे।
2. वोलीदाता को इस वोली आमंत्रण सूचना प्रपंत्र के साथ संलग्न Annexure 1, 11, एंव अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने हॉगे।
3. तकनीकी रूप से सफल वोलीदाताओं की ही वित्तीय वोली खोली जावेगी।
4. कार्य के समय लागू जी0एस0टी0 की दरे मान्य होगी।
5. वोलीयां उचित रूप से मोहर वंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी वोली प्रपत्र में वर्णित विन्दु संख्या 13 में 1 से 8 तक के प्रमाण पत्र वैक खाता विवरण एवं वोली प्रपत्र एंव शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।
6. वोलीदाता को अपने वैंक खाते का विवरण मय वैंक का नाम, व्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव वैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।
7. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी को अविलम्व संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/वोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
8. संविदा के संवंध में नई फर्म के तव तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगा जव तक की वह/वे समस्त निवन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल वोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को वाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आवद्ध होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
9. वोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैन्सिल से भरी किसी भी वोली पर विचार नही किया जावेगा। वोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संवंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।
10. दरे अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नही किया जावेगा। ऐसा कोई है तो वोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगं अन्यथा वोली निरस्त कर दी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

11. दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से **31.03.2026** तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
12. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एंव इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
13. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
15. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुश्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को वढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
18. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
19. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
20. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवांने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
21. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
22. यदि संवेदक/बोलीदाता एंव कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रंबधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
23. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
24. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई. एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
25. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आव यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

26. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

27. प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागबान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) की संख्यां में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एंव उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/ बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाना होगा।

28. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर प्रयोगशाला परिचारक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागबान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन वाहन चालक, प्रयोगशाला परिचारक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जोयगी।

29. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागवान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) हेतु निविदा उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

30. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

31. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।

32. मूल्यांकन की कसौटी–सीमितबोली में सफल /क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

33. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

34. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा, में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

35. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण Security (Forfeiture of Work Performance Deposit) :–कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

36. भुगतान:–

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

37. न्यूनतम निविदा दरें एक से अधिक निविदादाताओं कीसमान प्राप्त होने के स्थिति में उसके पूर्व में किये गये कार्योका अनुभव,वार्पिक टर्नओवर,कार्य करने की क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए उपापन समिति की सुविधानुसार गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम दर दाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नहीं होगा तथा कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस संबंध में कोई स्पप्टीकरण देने के लिये बाध्य नही होगी।

38. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी से सम्पर्क किया जा सकता है।

मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाडी द्वारा जारी की गई सीमितबोली सूचना.......................... दिनांक................. में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रो (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही है। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूॅगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्व कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय नाम व पता

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

कार्य की शर्ते

1. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति मे नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नही कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये कार्य प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो मे कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद् करने एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, भिवाडी को होगा।
3. राज्य मण्डल इस निविदा अथवा समस्त निविदाओं को विना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है राज्य मण्डल के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नही होगी।
4. निविदा की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव मे निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
5. निविदादाता को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पजींकृत होना आवश्यक है । आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
6. कार्यो के विवरण मे दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप मे अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नही होगा ।
7. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमो के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
8. निविदा की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना कोई नोटिस दिये निविदा निरस्त कर जमा कार्य प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. निविदा की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षैत्रीय अधिकारी, भिवाडी का निर्णय अन्तिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।
10. प्रयोगशाला परिचारक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार डयूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जावेगा।
11. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
12. निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक की डयूटी समय में कार्य के दौरान किसी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
13. प्रयोगशाला परिचारक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निर्देशानुसार कर्मचारी बदलना होगा।
14. प्रयोगशाला परिचारक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
15. प्रयोगशाला परिचारक को रखे जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण एंव चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वैरीफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
16. प्रयोगशाला परिचारक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निर्देशानुसार कर्मचारी बदलना होगा।
17. निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक की डयूटी समय में कार्य के दौरान किसी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
18. किसी भी प्रयोगशाला परिचारक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को न्य प्रयोगशाला परिचारक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, **यदि प्रयोगशाला परिचारक 03 दिवस से अधिक अवकाश पर रहता है तो 03 दिवस बाद प्रति दिवस अनुसार प्रतिदिन 200 रूपये की दर से अलग से शास्ती भी वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता को स्वंय वहन करना होगा।**
19. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार (सुबह 9:30 – सांय 6.00 बजे) ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

20. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को नया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, **यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 03 दिवस से अधिक अवकाश पर रहता है तो 03 दिवस बाद प्रति दिवस अनुसार प्रतिदिन 200 रूपये की दर से अलग से शास्ती भी वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता को स्वंय वहन करना होगा।**
21. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगें।
22. सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा अनुवुंध की समाप्ति होते ही कार्मिको की कार्य अवधि स्वत ही समाप्त हो जावेगी।
23. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही वरतने पर निर्देशानुसार कर्मचारी बदलना होगा।
24. निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की डयूटी समय में कार्य के दौरान किसी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
25. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सामान्यतः कार्यालय में स्थापित टेबल, कुर्सी, बैंच, अलमारी आदि की सफाई करना, अधिकारियो एवं कर्मचारियो हेतु पीने का पानी भरना, कार्यालय की पत्रावलियों, फाईलो, रिकार्ड इत्यादि को आदेशानुसार लाना एवं ले जाना, कार्यालय फर्नीचर को व्यवस्थित रखना एवं प्रभारी द्वारा बताये गये अन्य कार्य करने होगे।
26. किसी भी प्रकार का विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम भिवाडी का निर्णय ही अन्तिम मान्य होगा।
27. राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के सम्बन्ध में समयसमय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
28. सवेंदक द्वारा अयोग्य एंव अवयस्क व्यक्तियों को जोब पर नही लगाया जावेंगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक के कम में सेवाप्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिकों की न्यूनतम आयु 18 एंव अधिकतम 50 वर्ष होगी।
29. सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा जोब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा अनुबन्ध की समाप्ति होते ही कार्मिकों की कार्य अवधि स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
30. निविदा की शर्तो का उल्लंधन करने पर कार्य प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
31. निविदादाता फर्म को प्रत्येक माह जमा कराये गये जीएसटी राशि जमा की रसीद बिलो के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
32. किसी भी विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम भिवाडी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
33. <u>बागवान (अंशकालीन)</u> को चार घण्टे से कम की डयूटी में लगाया जावेगा, ताकि समुचित कार्य हो सके। ड्यूटी हेतु समय का निर्धारण समय–समय पर क्षेत्रीय अधिकारी, भिवाडी द्वारा किया जावेगा।
34. प्रत्येक बागवान को छः दिन लगातार ड्यूटी करने का एक विश्राम दिया जावेगा।
35. राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी दरो में संशोधन करती है जो नियमानुसार संशोधित दरे लागू होगी।
36. फर्म द्वारा लगाये गये बागवान अनुभवी होना चाहिए, ड्यूटी में कमी होने पर उसे तुरन्त बदल दिया जावेगा।
37. संविदा पर कार्य करने के फलस्वरूप संबंधित बागवान को इस विभाग मे अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार की नियुक्ति का हक नही बनेगा व एग्रीमेन्ट के अतिरिक्त कोई भत्ता देय नही होगा।
38. बगवान की सेवाऐं सन्तोप्रद नहीं होने पर 100/– रूपये प्रतिदिन की कटौति की जावेगी।
39. कार्यालय परिसर स्थित बगीचे के रख–रखाव, साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी बागवान की होगी। बांगवान को गार्डन में लगी हुई धास एंव पौधों की कटाई, मौसम अनुसार गमलों एवं गार्डन के चारों ओर फुलवारी लगाना, पैड पौधों की देखभाल, उनमें पानी एंव खाद तथा कीटनाशक डालना आदि कार्य करने होंगें। **इस हेतु आवश्यक औजार, धास कटाई मशीन सवेंदक द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी** तथा पेड़, पौधे, गमले, खाद इत्यादि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।
40. <u>सफाई कर्मचारियों</u> को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार अंशकालीन आधार पर ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय की आवश्यकता अनुसार किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा। कार्य के समय का निर्धारण कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
41. किसी भी सफाई कर्मचारी की अनुपस्थिति रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सफाई कर्मचारी तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

42. कार्यालय सफाई हेतु आवश्यक सामग्री कार्यालय द्वारा ही उपलब्ध करायी जावेगी, जिसका लेखा जोखा संवेदक को रखना होगा एंव पूर्व में उपलब्ध करायी गयी सामग्री का उपयोग विवरण कार्यालय को दिये जाने पर ही नवीन सामग्री उपलब्ध करायी जावेगी।
43. निविदादाता के सफाई कार्मिक की डयूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी ।
44. सफाई कर्मचारी के कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नही रहने, लापरवाही बरतने पर क्षेत्रिय अधिकारी के निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलने पडेगा। संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक व्यस्क होने चाहिए।
45. सफाई कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, एंव आयु प्रमाण पत्र तथा पुलिस वेरिफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
46. क्षेत्रीय अधिकारी या उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय सफाई कार्य का निरिक्षण किया जा सकेगा तथा उचित कार्य नहीं मिलने पर प्रतिदिन 100 रूपये की पेनेल्टी वसूल की जावेगी।
47. क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नही जलाया जावेगा। शर्त का उल्लधंन दण्डनीय होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्ते:

1. निविदादाता/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रो के संलग्न करेगा।
2. निविदादाता /संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये वाहन चालक, प्रयोगशाला परिचारक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम नही चाहिए।
3. निविदादाता /संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
4. निविदादाता /संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
5. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है ।
6. निविदादाता /संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा । निविदादाता /संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्यौगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु निविदादाता /संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
7. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यालय में शारित **(Penalty)** का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की भाास्ति क्षैत्रीय अधिकारी द्वारा द्वारा आरोपित की जा सकेगी ।
8. निविदादाता द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति **(Compensation and Penalty)** की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा कार्य प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
9. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।
10. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध मे कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय मे लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।
11. यह की मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोंई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
12. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षैत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, भिवाडी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
13. शास्ति (Penalty)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

(1) निविदादाता द्वारा लगातार तीन दिवसो पर कार्य मे लापरवाही करने पर उन दिनों का भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुणा राशि शास्ति के रूप मे वसूली जायेगी।

(2) लगातार सात कार्य दिवसो पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि निविदादाता से वसूल की जावेगी।

14. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षैत्राधिकार भिवाडी होगा।
15. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय–समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी।
16. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नामः मैसर्स...

पताः ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in

a bidding process if, including but not limited to;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to..for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated............................... I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:....................

Signature of bidder

Palace:..................

Name:..

Designation:................................

Address:.....................................

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary,RSPCB Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases.**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....

of...

Before the .... (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   - (i) Name of the appellate:
   - (ii) Official address, if any:
   - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   - (i)
   - (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ....
   ....
   ....

   (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
   ....
   ....
   ....

Place:.................

Date:..................

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

प्राईस–शिड्यूल
(वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)
कार्य का नाम –_प्रयोगशाला परिचारक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बागबान (अंशकालीन) एवं सफाईकर्मी (अंशकालीन) हेतु निविदा

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रयोगशाला परिचारक	कुशल (01)	8034		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल (03)	7410		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		
3	बागबान (अंशकालीन)	अकुशल (01)	3705		-----	-----		
4	सफाईकर्मी (अंशकालीन)	अकुशल (02)	3705		-----	-----		

1. उपर्युक्त तालिका मे स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. कॉलम सं0 09 में देय राशि न्यून्तम 1/– रूपये से कम नही भरी जावे। राशि शुन्य या ऋणात्मक या 1/– रूपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिय जावेगा। राशि पूर्णाक में ही भरी जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
नाम–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
भिवाड़ी, जिला खैरथल–तिजारा